तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/170/2005/बूंदी नाथूलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित–

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी व श्री अशोक अग्रवाल अधिवक्तागण अपीलार्थीगण

श्री शौकिन्द लाल गुर्जर, उपराजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 21.11.2023

प्रार्थी ने यह अपील दी राजस्थान इम्पोजिशन आफ सीलिग आन एग्रीकल्चरल होल्डिंगस एक्ट, 1973 की धारा 23(2) (ए) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या–188/सी0/83 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम कजोड में पारित निर्णय दिनांक 16–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के पूर्वज धन्ना और कजोड के विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बूंदी ने पुराने सीलिंग कानून के तहत कार्यवाही कर खातेदारान के पास संयुक्त रूप से 250 बीघा 8 बिस्वा होना मानकर तथा इस भूमि में से 77 बीघा 2 बिस्वा भूमि माणकचंद एवं हीरा के रहन रखने तथा भूमि रहन ग्रहिता के ही कब्जे में रहने एवं रहन छुडानें की मियाद समाप्त होने से उक्त भूमि कम करते हुए खातेदार के पास 173 बीघा 6 बिस्वा भूमि होना मानकर तथा खातेदार धन्ना के परिवार के 5 सदस्य एवं कजोड के परिवार में 6 सदस्य होना मानकर खातेदारान के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानकर कार्यवाही ड्रॉप करने का आदेश दिनांक 23.12.1975 पारित किया। तत्पश्चात् राज्य सरकार के रिओपन आदेश दिनांक 23.03.1982 के द्वारा प्रकरण पुनः रिओपन किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बूंदी को सुनवाई हेतु भिजवाया गया जिनके द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 16.12.2004 को खातेदारान के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना मानते हुए 65.2 स्टे0 एकड भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित किए गए। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटस् द्वारा यह अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/170/2005/बूंदी नाथूलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि मामला जमाबंदी के आधार पर किस्म के आधार पर ही भूमि की सीमा का निर्धारण होना है और वह भी मिट्टी की किस्म के आधार पर कोई एरिया कमांड एरिया के आधार पर नहीं किया जाएगा। जमाबंदी के आधार पर ही देखा जाएगा इस संबंध में 1986 आरआरडी पेज 14 न्यायिक दृष्टांत महत्वपूर्ण है। कोटा, बूंदी की जमीन कमांड एरिया में नहीं आती है, आज तक भी नहीं आयी है इसलिए उक्त आदेश अपास्त किया जावे। अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये –

1. 2001 आरआडी पेज 170
2. 1999 आरआरडी पेज 233
3. 1988(2) आरएलआर पेज 520
4. 1986 आरआरडी पेज 14
5. 1986 आरआरडी पेज 164
6. 1986 आरआरडी पेज 188
7. 1989 आरआरडी पेज 248

विद्धान राजकीय अधिवक्ता ने इन तर्को का खंडन करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी ने जो आधार जवाब में लिए है उससे बाहर प्रार्थी को तर्क करने का अधिकार नहीं है, अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहां सदस्यों के आधार पर ही आपति की थी और रहन के संबंध में आपति की थी जिसका निस्तारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है इसलिए उक्त अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कजोड़ व नंदकिशोर द्वारा दिनांक 26–8–1985 को यह आपत्ति की गई थी कि भूमि खसरा नंबर 20, 23, 248 कुल किता 3 रकबा 60 बीघा 16 बिस्वा माणक चंद के नाम से रहन और खसरा नंबर 13, 16 बीघा 10 बिस्वा हीरालाल के नाम रहन की हुई है। कुल 77 बीघा 4 बिस्वा भूमि माणक और हीरा के नाम रहन होने से और उन्ही का कब्जा होने से कुल भूमि में से कम किए जाने योग्य है और इसके पश्चात एक बीघा 4 बिस्वा भूमि भी नाकाबिल काश्त होने से कुल शेष भूमि 248 बीघा 4 बिस्वा ही काबिल काश्त है और जिसमें से रहन भूमि कम करने के पश्चात 172 बीघा 2 बिस्वा भूमि ही शेष रहती है। इसका कजोड़ के हिस्से में 83 बीघा 2 बिस्वा आई है सात सदस्य परिवार के हैं और शेष धन्ना के नाम से है। एक व्यक्ति 35 बीघा संचित और 70 बीघा असंचित भूमि रख सकता है इसलिए उक्त सीलिंग की कार्यवाही रोक दी जावे। जिस पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश मे यह निर्धारित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/170/2005/बूंदी नाथूलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

किया है कि–

''नकल जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 18 ग्राम हरीपुरा के अनुसार भूमिधारी धन्ना व कजोड के पास खाता संख्या 27 में 232 बीघा 12 बिस्वा खाता संख्या 28 में 8 बीघा 2 बिस्वा तथा खाता संख्या 29 में 9 बीघा 14 बिस्वा कुल 250 बीघा 8 बिस्वा भूमि है जिसे अभिभाषक भूमिधारी ने भी अपनी बहस में स्वीकार किया है। जमाबन्दी पर अंकित प्रविष्ठि के अनुसार इसमें से 154 बीघा 10 बिस्वा भूमि माणकचन्द एवं 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि हीरा के रहन दर्ज है लेकिन जिसके यह भूमि रहन रखी गई है उसके सीलिंग प्रकरण में इस भूमि को जोडा गया है अथवा नहीं इस बाबत पुख्ता प्रमाण भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है और नही राहिन सदभावी कृषक व राजस्थान का निवासी होने का प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत हुआ है। अतः यह भूमि भूमिधारी की भूमि के साथ ही गणना योग्य है।

भूमिधारी कजोड व नन्दकिशोर के परिवार के सदस्य संख्या व उम्र बाबत भी यथोचित प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुये है जिन्हे प्रस्तुत करने का दायित्व भूमिधारी का था। अतः प्रत्येक के परिवार में 5 सदस्य मान्य है।

भूमिधारी धन्ना व कजोड पिस0 सुखा धाकड के पास ग्राम हरीपुरा की 250 बीघा 8 बिस्वा भूमि होना मान्य है। ग्राम हरीपुरा चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तथा सीलिंग ग्रुप प्रथम में है। अतः सारणी के क्रम 1 के अनुसार 250 बीघा 8 बिस्वा भूमि के स्टेन्डर्ड एकड की गणना निम्नानुसार हैः–

250 8/20 = 5008/20 x 2/5 x 30/24 = 300480/2400 = 125.2 स्टे0 एकड़

भूमिधारी धन्ना व कजोड संयुक्त खातेदार होने से प्रत्येक के हिस्से में 62.5 स्टे0 एकड भूमि आती है तथा प्रत्येक भूमिधारी केवल 30 स्टे0 एकड भूमि रख सकता है। अतः भूमिधारी कजोड से 32.6 तथा भूमिधारी धन्ना के कायम मुकाम से 32.6 कुल 65.2 स्टे. एकड भूमि अधिगृहण के आदेश दिये जाते है। भूमिधारी अतिरिक्त घोषित भूमि के सम्बन्ध में विकल्प अन्दर 15 योम प्रस्तुत करें। विकल्प प्रस्तुत होने पर तहसीलदार के0 पाटन को भूमि अधिग्रहण हेतु लिखा जावें। जब तक अधिगृहित भूमि का आवंटन न हो तहसीलदार इसके काश्त की व्यवस्था करें।''

इस प्रकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रहन भूमि को दूसरी भूमि में जोड़ा गया हो या उसका अलग से सीलिंग प्रकरण चल गया हो, कोई साक्ष्य नहीं है और राहीन राजस्थान का निवासी और कृषक होने का प्रमाण पत्र भी पत्रावली में प्रस्तुत होना नहीं माना है और

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/170/2005/बूंदी नाथूलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख
	समस्त भूमि को गणना के योग्य मानकर गणना की है और परिवार के सदस्यों को पांच मानकर गणना की है लेकिन पत्रावली पर कजोड़ के साथ सात सदस्य हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। जो घोषणा पत्र स्वयं प्रार्थी को साबित करना चाहिए था लेकिन नहीं है और भूमिधारी धन्ना व कजोड़ के ग्राम हीरापुर में चंबल कमाण्ड के एरिया क्षेत्र में आने से गणना की गई है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2001 आरआडी पेज 170 में यह उल्लेख किया गया है कि– Rule 19 - Raj. Land Revenue. Act, Sections 148 & 149 - Standard Acres - Ceiling Area is to be computed according to soil classification entered in Annual registers on the appointed date, i.e. 1.4.1966 in accordance with old ceiling law and rules - In this case, only on the basis of report dt . 11.8.1985 of Tehsildar that lands held by petitioner were situated in Chambal Command Area and were irrigated by canal, standard acres of ceiling area cannot be computed / determined by treating the land as irrigated or 'Nehari'. इसी प्रकार 1988(2) आरएलआर पेज 520 में उल्लेख किया गया है कि– Raj. Tenancy (Fixation of Ceiling on Land) (Government) Rules, 1963, Rr. 12 & 19 - Raj. Tenancy Act, 1955, Chapter III B, S. 30 - C - Raj Irrigation & Drainage Act, 1954, S. 5 - Calculation of ceiling ares - No notification u / s 5 of Act, 1954 issued - Procedure prescribed for calculating ceiling area, explained. Held, ceiling area should have been calculated as per soil classification mentioned in annual register on appointed date. अन्य न्यायिक दृष्टांत 1999 आरआरडी पेज 233 में उल्लेख किया गया है कि– Rajasthan Tenancy Act, Sections 30B & 30C - Ceiling proceedings - To constitute a member of the 'family' u / s 30B (a) the children and grand children should be dependent on the holder of the land - If the children are not dependent on the holder of land they would not be members of the family their share in the land cannot be taken into consideration while calculating and of holder for the purpose of ceiling. इन न्यायिक दृष्टांतों में दिनांक 01.04.1966 की स्थिति और मिट्टी की गणना के आधार पर गणना करने के आदेश दिए है लेकिन रिकार्ड पर उपलब्ध जमाबंदी के आधार पर वर्ष खसरा गिरदावरी संवत् 2020, 2021, 2022 में कॉलम नंबर 8 में नहर से सिचाई का दर्शाया गया है अर्थात् नहरी भूमि है। अन्य राजस्व रिकार्ड जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, पढने योग्य भी नहीं है। इसलिए वास्तविक गणना के लिए यह न्यायालय उचित पाता है कि समस्त रिकार्ड की विभिन्न प्रतियां प्राप्त करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय भेजा जावे, जिसस सही तौर पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिग/170/2005/बूंदी नाथूलाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख

भूमि की किस्म अनुसार गणना की जा सके।

परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, बून्दी द्वारा मिसल संख्या 188/सी/83 बउनवानी सरकार बनाम कजोड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16–12–2004 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निर्णय में दिये गये अभिमत के क्रम में उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, बून्दी के न्यायालय में दिनांक 20–12–2023 को उपस्थित रहें।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य